

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 39/2021

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. गोपाराम पुत्र देरामा जाति माली निवासी संदेरा का बेरा, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स हस्तीमल बुधाराम, मेन मार्केट, सिवाना, बाड़मेर फर्म का मैनेजर)
2. हस्तीमल पुत्र बदा राम निवासी बेरा नवोडा वाला, सिवाना बाड़मेर (मैसर्स हस्तीमल बुधाराम, मेन मार्केट, सिवाना, बाड़मेर फर्म का मालिक)
3. ओम प्रकाश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा लखरा शिव मंदिर के पास वार्ड नं 6 नोखा, बीकानेर (मैसर्स धेनू श्री डेयरी प्रोडक्ट्स रिको त्रीया चारण बोरानाडा जोधपुर फर्म का भागीदार)
4. भजनलाल बिश्नोई पुत्र जय किशन 12/113 नजदीक सरदार पटेल स्कूल के के कॉलोनी बासनी प्रथम फेस जोधपुर (मैसर्स धेनू श्री डेयरी प्रोडक्ट्स रिको त्रीया चारण बोरानाडा जोधपुर फर्म का भागीदार)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006



उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

आदेश

दिनांक : 27.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मैसर्स हस्तीमल बुधाराम, मेन मार्केट, सिवाना, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 23.03.2021 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनू सरस (500 ग्राम पैकिंग) जो 10 किलो एक कार्टून में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट घी ब्राण्ड धेनू सरस (500 ग्राम पैकिंग) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1342 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनू सरस (500 ग्राम पैकिंग) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनू सरस (500 ग्राम पैकिंग) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 31.03.2021 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहकर कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 39/2021/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गोपाराम व अन्य

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 27.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर  
स्वास्थ्य निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर